

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1677 / 2022

दिनांक : 16.05.2022

सुश्री रेणुका शर्मा (RJ1066), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनू (नागौर) हाल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना (झुंझुनू) को दिनांक 02.03.2022 से 04.03.2022 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 01.03.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री शर्मा की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनू (नागौर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
13.05.2022
मजिस्ट्रेट (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/54/2016/3820

दिनांक : 16.05.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता को उनके पत्रांक 2035 दिनांक 16.04.2022 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री रेणुका शर्मा (RJ1066), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना (झुंझुनू) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनू (नागौर) ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर) ।

S. Sidhane
सहायक मजिस्ट्रेट